राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :–मु.स.प्र. / 2013 / 210 दिनांकः– 15/5/13

आदेश

संचालक मण्डल की दिनांक 24.04.2013 को आयोजित 218 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 218.81 में लिए गए निर्णयानुसार मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों / कर्मचारियों के द्वारा मण्डल में उनके पदस्थापन के दौरान प्रतिनियुक्ति कोटे में कराये गये पंजीकरणों को आधार मानते हुए पंजीकरण वर्ष में वरीयता निर्धारण करते हुए उन्हें सामान्य श्रेणी के आवेदक के रूप में माना जाकर आय वर्ग एवं वरीयता अनुसार आवास / फ्लेट आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों / कर्मचारियों को आय वर्ग / वरीयतानुसार आवास / फ्लेट का आवंटन सामान्य श्रेणी के पंजीकरण के आधार पर किया जावे। इस हेतु इन आवेदकों से उनके पंजीकरण को सामान्य श्रेणी का पंजीकरण मानते हुए उनसे आवास / फ्लेट आवंटन हेतु सहमति प्राप्त की जावे। यदि किसी आवेदक द्वारा उक्तानुसार सहमति नहीं दी जाती है तो उसके पंजीकरण को निरस्त करते हुए जमा राशि लौटा दी जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ0 आर. वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव / मुख्य अभियंता / वित्तीय सलाहकार / निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक,अति.मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / पी. एण्ड एम., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत ...., राजस्थान आवासन मण्डल
6. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा0आ0मं0, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी को मेल करें।
7. आवासीय अभियन्ता, ..., राजस्थान आवासन मण्डल
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक